



राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सन्दर्भ में गाँधीजी के ग्रामीण विकास दर्शन की प्रासंगिकता

डॉ. जितेन्द्र शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र

आलेख सार

प्रस्तुत शोध आलेख में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सन्दर्भ में गाँधीजी के ग्रामीण विकास दर्शन की प्रासंगिकता की नीरक्षीर विवेचना की गयी है। आजादी के 65-66 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी देश का समग्र और संतुलित विकास नहीं हो पाया है। देश की अधिसंख्य जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, परन्तु गाँववासियों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बिजली, शुद्ध पेयजल की गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति अद्यापि नहीं हो सकी है। भारतीय कृषि अद्यापि मानसून की जुआ बनी हुई है। परिणामतः जहाँ एक तरफ प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन काफी कम है वहीं जो उत्पादन होता भी है वह समुचित भंडारण और विपणन की दुर्दशा का शिकार हो जाता है। वापू का यह मन्तव्य कितना प्रासंगिक है कि वास्तविक भारत गाँवों में निवास करता है। अतः भारत का गाँवों के विकास में अपना नियोजन शुरू करना चाहिये। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सड़क, सफाई आदि ग्रामीण विकास के जितने भी आयाम हैं सभी के सन्दर्भ में गाँधी के दर्शन में रचनात्मक उपाय एवं दिशा-निर्देश है। यदि सार रूप में कहना हो तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यदि भारतीय गाँवों को उनका प्राचीन गौरव प्रदान करना है, उन्हें खुशहाल और आत्मनिर्भर गणराज्य के रूप में विकसित करना है तो गाँधी के ग्रामीण विकास दर्शन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं। काश, भारत सरकार इस दिशा में जमीनी हकीकत पर कुछ कदम उठाती।।

मेरे..... सपनों के स्वराज्य में जाति (रेस) या धर्म के भेदों का कोई स्थान नहीं हो सकता उस पर शिक्षितों या धनवानों का एकाधिपत्य नहीं होगा। वह स्वराज्य सबके लिये सबके कल्याण के

लिये होगा। सबकी गिनती में किसान तो आते ही हैं किन्तु लूले, लंगड़े, अंधे और भूख से मरने वाले लाखों—करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं।

मेरे सपनों का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं वही गरीबों को भी सुलभ होनी चाहिये, इसमें फर्क के लिये स्थान नहीं हो सकता।..... जीवन की वे सामान्य सुविधायें गरीबों को अवश्य मिलनी चाहिये जिनका उपयोग अमीर आदमी करता है। मुझे इस बात पर बिल्कुल सन्देह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा, जब तक वह गरीबों को ये सारी सुविधायें देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।¹

संविधान निर्माताओं ने आजाद भारतवर्ष में जिस लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना का संवैधानिक ताना बाना बुना था, उसकी झलक पूज्य बापू की 'मेरे सपनों का भारत' विषयक उक्त उद्धरण में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। परन्तु जब हम नीर-क्षीर विवेक दृष्टि से आजाद भारत की प्रगति और समतामूलक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संवैधानिक आदर्श की स्थापना के हकीकत का मूल्यांकन करते हैं तो तस्वीर के दूसरे पहलू की भाँति ग्रामीण विकास का अपेक्षाकृत भयावह नजारा हमारी नजरों के सामने तैर जाता है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुये दैनिक समाचार पत्र 'आज' के सम्पादकीय का कुछ अंश—वैश्विक रेटिंग एजेन्सियों द्वारा भारत सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि आर्थिक सुधारों की गति में तेजी न आने की स्थिति में भारत की रेटिंग को गिराया जा सकता है। वर्तमान में भारत की रेटिंग न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर है। इससे गिरने पर भारत की रेटिंग जंक यानी कूड़े बराबर हो जायेगी। ऐसा होने पर विदेशी निवेशकों के पलायन की संभावना बनेगी। भारतीय उद्यमियों के लिये विदेशों से ऋण लेना भी कठिन हो जायेगा।² इसी तरह 'ध्वस्त होती भारत की अर्थ व्यवस्था' शीर्षक से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र का निम्न सम्पादकीय मानो खतरे के पूर्व की घंटी प्रतीत हो रहा है—“भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तरह की सुनामी आ गयी है। सरकार प्रायः प्रतिदिन लोगों को आश्वस्त कर रही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार शीघ्र आ जायेगा। परन्तु आम जनता को सरकार के आश्वासन पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है..... डालर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है, अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों ने चेतावनी दी है कि यदि डालर के मुकाबले रुपया इसी तरह से गिरता गया तो भारत की रेटिंग कम कर दी जायेगी, जिसका सीधा अर्थ होगा कि जो विदेशी भारत में निवेश करना चाहते थे वह अपना हाथ रोक लेंगे। कुल मिलाकर भारत की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही चिंताजनक

है। अब तो यह मानकर ही चलना चाहिये कि देश में एक अलिखित आर्थिक इमरजेन्सी की स्थिति आ गयी है।³

यदि देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था पर चिंतन करें तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय से खाद्यान्नों और खाद्य तेलों की कमी और इनके मूल्यों में जिस तेजी से इजाफा हुआ है उससे पूरी दुनिया में डर की लहर दौड़ गयी है। भारत में ही दो सप्ताहों में ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है लेकिन सरकार की चिंता का विषय मूल्यवृद्धि नहीं विकास दर है। पिछले कुछ दिनों पूर्व ही वित्त मंत्री का कथन था कि देश सुदृढ़ आर्थिक धरातल पर खड़ा है। ऐसी आर्थिक सुदृढ़ता का आश्वासन किसके लिये? क्या यह आश्वासन बड़े घरानों के लिए है? आम आदमी कहाँ जाय? किसान, मजदूर, साधारण वेतनभोगी तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 30 करोड़ बेरोजगार जिन्दा कैसे रहें। भीषण मँहगाई ने प्रमुख खाद्य पदार्थों आटा, चावल, दाल तथा सब्जियों पर सबसे अधिक सितम ढाया है। साथ ही पेट्रोल, डीजल, रसोईगैस तथा स्टील की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी है। कृषि और किसानों की अनदेखी तथा गलत नीतियों ने हरित क्रांति को निगल लिया है। पिछले पाँच साल में डेढ़ लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इससे बड़ी कोई आर्थिक विषमता और क्या हो सकती है कि जहाँ पूजापतियों, अधिकांश राजनेताओं और नौकरशाहों के पास पंचतारा होटल, रेस्तरां, फार्महाउस और गगनचुम्बी अट्टालिकायें हैं वहीं देश के करोड़ों गरीबों के लिये न केवल पेट भरना ही दूभर होता जा रहा है, बल्कि वह सिर छिपाने के लिए छत के अभाव में खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को अपनी भाग्य का फैसला मान बैठे हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसका न्यायपूर्ण वितरण नहीं हुआ है और जमाखोरों को खुली छूट मिलती रही तो वह दुःखद घड़ी दूर नहीं होगी जब देश में खाद्यान्न और पानी के सवाल को लेकर दंगे भड़क सकते हैं। इसी तरह प्रतिपाद्य के सन्दर्भ में कुछ अन्य प्रसंग/उद्धरण भी उल्लेखनीय है—'उपभोक्तावादी संस्कृति का दंश झेलता देश—पाश्चात्य संस्कृति के वशीभूत होकर हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रगतिवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उपभोक्तावाद हमारे मन—मस्तिष्क पर तीव्र गति से हावी हो रहा है।'⁴

महिलाओं के मामले में दोहरी नीति—भ्रूण हत्या से लेकर बड़ों की मर्जी से शादी तक की जड़ में बुनियादी मसला सम्पत्ति का ही है। स्त्रियों के पक्ष में कानून तो बन रहे हैं, परन्तु उन्हें अमली जामा पहनने में शायद एक दो सदी और निकल जाय।⁵

तकनीकी शिक्षा का गिरता ग्राफ—नोवेल अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन कहते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था आपात् स्थिति में है। ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को कहना पड़ता है कि हमारे विश्वविद्यालय 19वीं सदी के 'माइण्डसेट' में जी रहे हैं फिर भी सरकार मौजूदा कालेजों की गुणवत्ता सुधारने के बजाय नये कालेजों को खोलने की मंजूरी दे रही है। तकनीकी शिक्षा के इतने विस्तार के बाद भी आज हम उसे व्यावहारिक और रोजगारपरक नहीं बना पाये हैं।⁶

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आजादी के लगभग 67 वर्षों बाद भी देश का संतुलित और समन्वित विकास नहीं हो पाया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क आदि की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता अद्यापि मुंगेरीलाल के सपनों जैसी ही है। भारत की ग्रामीण आबादी का अधिसंख्य कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों तथा पशुपालन आदि से अपनी जीविका निर्वाह करता है—परन्तु भारतीय कृषि जैसे आज भी मानसून का जुआ बनी हुई है उसी तरह से कृषि आधारित उद्योगों और पशुपालन आदि की माली हालत से सभी परिचित हैं। ग्रामीण कृषि उत्पादन या तो मात्रा में न्यून हैं या जहाँ उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता भी है वहाँ वह विपणन और भंडारण की दुर्दशा का शिकार हो जाता है। कुल मिलाकर ग्रामीण जीवन आज भी विकास के मशाल की प्रकाश की पहुँच से कोसों दूर है। ऐसे में बापू के ग्रामीण विकास का दर्शन स्वयमेव प्रासंगिक हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन, सड़क, पानी, बिजली आदि कोई भी क्षेत्र हो सभी के लिये गाँधी चिंतन में विकास के नूतन आयाम समाहित हैं। यहाँ तक कि बापू ने स्वराज्य का मूल गाँवों के विकास को ही बतलाया है। उनका मानना था कि प्रत्येक गाँव को एक स्वयं सम्पन्न गणराज्य होना चाहिये। जो अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपने पड़ोसी पर आश्रित न रहे। अतः उनके आदर्श गाँव में कृषि को सहकारिता के आधार पर किया जाना चाहिये तथा लघु उद्योगों द्वारा प्रत्येक को रोजगार दिया जाना चाहिये। बापू का मानना था कि वास्तविक भारत गाँवों में निवास करता है। अतः भारत को गाँवों के विकास में अपना नियोजन शुरू करना चाहिये। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सन्दर्भ में आइये गाँधी के ग्रामीण विकास दर्शन की प्रासंगिकता पर समीक्षात्मक दृष्टि डालें।

स्वतन्त्र भारत में गाँवों का क्या महत्व होगा और गाँधी के सपनों का गाँव कैसा होगा उत्तर स्वयं बापू के शब्दों में —“अगर हमें स्वराज्य की रचना अहिंसा के पाये पर करनी है तो गाँवों को उनका उचित स्थान देना होगा.....। मैं कहूँगा कि अगर गाँवों का नाश होता है तो भारत का भी नाश हो जायेगा। उस हालत में भारत भारत नहीं रहेगा। दुनिया को उसे जो सन्देश देना है उस सन्देश को वह खो देगा।

ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिये अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिये जिनमें दूसरे का सहयोग अनिवार्य होगा वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस तरह हर गाँव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिये कपास खुद पैदा कर ले। (इसके अलावा) उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिये जिसमें ढोर चर सकें और गाँव के बड़े व बच्चों के लिये मन बहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बन्दोबस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो उसमें वह ऐसी उपयोगी फसलें बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके (लेकिन) वह गाँजा, तम्बाकू, अफीम वगैरह की खेती से बचेगा। हर एक गाँव में गाँव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला तथा सभा भवन रहेगा। बुनियादी तालीम के आखिरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिये लाजिमी होगी। जात-पाँत और क्रमागत अस्पृश्यता के जैसे भेद आज हमारे समाज में पाये जाते हैं वैसे इन ग्राम समाज में बिल्कुल नहीं रहेंगे।⁷

गाँधीजी बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि उद्योगों में मशीनों के प्रयोग से श्रम की महत्ता समाप्त होती है। श्रमिकों का शोषण होता है तथा बेरोजगारी बढ़ती है, इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। उनका मानना था कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में लाखों लोगों को काम तभी मिल सकेगा जब देश में श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित औद्योगिक ढांचा विकसित किया जाय। बापू देश में अधिक उत्पादन नहीं बल्कि अधिक लोगों द्वारा अधिक उत्पादन चाहते थे।

खादी ग्रामोद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हो सकते हैं। उनका मन्तव्य था कि सच्चे स्वराज्य को प्राप्त करने के लिये खादी का प्रयोग अनिवार्य है। उन्होंने खादी योजना में निम्नांकित बातें शामिल की थी—

1. स्कूलों में कताई की शिक्षा अनिवार्य की जाय।
2. अधिक मात्रा में कपास पैदा करने के प्रयास किये जायें।
3. सहकारी आधार पर बुनाई उद्योग का विकास किया जाये।
4. हथकरघे पर बने कपड़े के मूल्य को नियन्त्रित किया जाये।
5. जहाँ हथकरघे से बुना हुआ कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ मिल के कपड़े के उपयोग पर नियन्त्रण लगाया जाये।
6. विदेशी धागे व कपड़े के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाये।

अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ दूसरा पहलू विकेन्द्रीकरण का है। बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादन करने के स्थान पर गाँधीजी की राय में विकेन्द्रित पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादन करना गाँवों में रहने वाले लोगों के लिये हितकारी था। आप विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को प्रजातन्त्र का जीवनरक्त समझते थे।

कृषि विकास के सन्दर्भ में आप की मान्यता थी कि भूमि एक प्रकृति प्रदत्त साधन है। अतः उस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर सम्पूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिये। भूमि पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिये जो उसे जोतता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा खाद्यान्न समस्या के हल के लिये उन्होंने बाग के स्थान पर खेती का विकास करने, खाद्यान्न बाजारों को विकसित करने, सिंचाई सुविधायें बढ़ाने तथा गहरे कुयें खुदवाने एवं तिलहन, खल आदि के निर्यात को कम करने पर बल दिया। उन्होंने गौपालन को जरूरी बताया। ग्रामीण विकास हेतु गाँव की सफाई को हमें एक आन्दोलन के रूप में लेना चाहिये।

ग्रामीण विकास सम्बंधी बापू के कुछ अन्य मन्त्र भी हैं जो निम्नवत् हैं—

1. गाँधी जी सहकारिता के पक्षधर थे। उत्पादन, उपभोग, विपणन, पशुपालन आदि क्षेत्रों में वे सहकारिताओं के समर्थक थे।
2. वह सभी व्यक्तियों के लिये समान अवसर एवं प्रजातांत्रिक न्याय के पक्षपाती थे और किसी प्रकार के एकाधिकार के विरुद्ध थे।
3. वह परिवहन के साधनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ना चाहते थे।
4. गाँधी जी के अनुसार किसी राष्ट्र का वास्तविक धन उसके ईमानदार, सभ्य व निःस्वार्थ नागरिकों में होता है। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर होना चाहिये।
5. वे राजनीतिक शक्ति के केन्द्रीकरण हेतु प्रत्येक गाँव में ग्राम पंचायतें चाहते थे।

अंत में सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि अगर हमें स्वराज्य की रचना अहिंसा के पाये पर करनी है तो गाँवों को उनका उचित स्थान देना होगा। स्वयं बापू के शब्दों में “मैं कहूँगा कि अगर गाँवों का नाश होता है तो भारत का भी नाश हो जायेगा। उस हालत में भारत भारत नहीं रहेगा। दुनिया को उसे जो संदेश देना है। उस संदेश को वह खो देगा।⁸

“मेरे सपनों का भारत” नामक ग्रन्थ में बापू ने ग्रामीण पुनर्रचना के दर्शन और उसकी आवश्यकता को लगभग 80 वर्ष पूर्व ही अनुभव किया था जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है—आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह से बनाया जायेगा कि उसमें आसानी से स्वच्छता की पूरी-पूरी व्यवस्था रहे। उसकी झोपड़ियों में पर्याप्त प्रकाश और हवा का प्रबन्ध होगा। इन झोपड़ियों में आंगन या खुली

जगह होगी जहाँ उस घर के लोग अपने उपयोग के लिये साग-भाँजियाँ उगा सकें और अपने मवेशियों को रख सकें। गाँव की गलियाँ और सड़के, जिस धूल को हटाया जा सकता है उससे मुक्त होंगी। उस गाँव में उसकी आवश्यकता के अनुसार कूयें होंगे और वे सब के लिये खुले होंगे। उसमें सब लोगों के लिये पूजा के स्थान होंगे, सबके लिये एक सभा भवन होगा, मवेशियों के चरने के लिये गाँव का चारागाह होगा, सहकारी डेरी होगी, प्राथमिक और माध्यमिक शालायें होंगी जिनमें मुख्यतः औद्योगिक शिक्षा दी जायेगी और झगड़ों के निपटारे के लिये ग्राम पंचायत होगी। वह अपना अनाज साग-भाँजियाँ और फल तथा खादी खुद पैदा कर लेगा।

देहातवालों में ऐसी कला और कारीगरी का विकास होना चाहिये जिससे बाहर उनकी पैदा की हुई चीजों की कीमत की जा सके। जब गाँवों का पूरा-पूरा विकास हो जायेगा तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को संतुष्ट करने वाली कला-कारिगरी के धनी स्त्री-पुरुषों की गाँवों में कमी नहीं रहेगी। जिन्दगी की कोई ऐसी चीज न होगी जो गाँव में न मिले। आज हमारे देहात उजड़े हुये और कूड़े-कचरे के ढेर बने हुये हैं। कल वहीं सुन्दर बगीचे होंगे और ग्रामवासियों को ठगना या उनका शोषण करना असम्भव हो जायेगा। इस तरह के गाँवों की पुनर्रचना का काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिये और गाँवों की पुनर्रचना का (यह) काम कामचलाऊ नहीं बल्कि स्थायी होना चाहिये।⁹

सन्दर्भ सूची

- 1 मोहन करमचन्द गाँधी-मेरे सपनों का भारत, पृ.सं.22-23, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.)।
- 2 दैनिक समाचार पत्र 'आज' बुधवार 5 जून, 2013।
- 3 दैनिक समाचार पत्र 'आज' सोमवार, 2 सितम्बर, 2013।
- 4 दैनिक समाचार पत्र 'आज' शनिवार 28 सितम्बर, 2013।
- 5 आज 'सोमवार, 25 सितम्बर, 2013
- 6 आज 'शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2013
- 7 मोहन करमचन्द गाँधी-मेरे सपनों का भारत, पृ.सं.32-33, सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी (उ.प्र.)
- 8 वही, पृ.सं.33
- 9 वही, पृ.सं.35